सूचना का अधिकार

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

सूचना का अधिकार

नहीं, नहीं, कभी नहीं

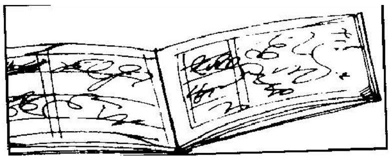

रामपुर गाँव के लोगों ने सुना था कि गाँव में से बहने वाली नदी पर एक पुल बन रहा है। तीन साल बीत गये पर कोई पुल नहीं दिखाई पड़ा। जब गाँव के कुछ लोगों ने पंचायत से पुल के बारे में सूचना माँगी तो पंचायत ने उन्हें कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। सरपंच ने कहा–

*"यह हमारा मामला है, तुम लोगों को कुछ **जानने का अधिकार** नहीं है।"*

लेकिन रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि :

- ❑ पुल बनने के लिये कितना पैसा दिया गया है?
- ❑ पुल कितने समय में बनेगा?
- ❑ पुल बनाने के लिये कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने वेतन पर?
- ❑ पुल किस विशेष स्थान पर बनेगा?
- ❑ यदि बनने के बाद पुल टूट जाता है तो किसकी जिम्मेवारी है, किसका दोष है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ़ क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

इसीलिए, रामपुर गाँव के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि पुल उस जगह बनाने का निर्णय कैसे लिया गया। उन्हें यह भी जानने का हक है

कि पुल बनाने के लिये कितना पैसा तय किया गया है। वे उन सब दस्तावेजों के हकदार है जिनसे पता चलता है कि किस सामग्री पर कितना खर्च हुआ, इत्यादि।

जानना क्यों जरूरी है

कई ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। सरकारी कामों में हमारा बहुत पैसा भी लगता है। हमें यह अधिकार है कि हमे ऐसी जरूरी बातों के बारे में पता चले। यदि सारे काम के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। इसे कहते हैं शासन में पारदर्शिता।

सरकार और शासन लोगों के लिये हैं और कानून से बचे नहीं है। यदि काम सही ढंग से नहीं होता, तो शासन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। रामपुर में बना पुल यदि बह जाये या टूट जाये, तो लोग यह जानने के अधिकारी हैं कि दोष किसका था और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। इसे कहते हैं शासन की जनता को जवाबदारी।

लोकतन्त्र में शासन लोगों के लिये ही होता है। हम शासन चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम सरकार चलाने के लिए कई प्रकार के टैक्सों द्वारा पैसा देते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिये, हमारे ही पैसों से होता है।

यह काम ज़रूरतों के अनुसार हो, इसके लिये हमें काम की पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिये। इसे कहते हैं, शासन में लोगों की भागीदारी।

निर्णय जानने के लिये, अनेक तरह के मुद्दों के बारे में सूचित रहने के लिये, हिसाब मांगने के लिये, ब्यौरा मांगने के लिये और शासन को अपने काम के लिये जिम्मेदार ठहराने के लिये, सूचना आवश्यक है।

सूचना किसे कहते हैं?

सूचना कई रूप ले सकती है-वह सरकारी व शासकीय कार्यवाही और बैठकों के ब्यौरे से मिल सकती है, वह शासकीय निर्णयों, आदेशों, अधिसूचनाओं से मिल सकती है। शासकीय रजिस्टरों में एन्ट्री की कापियाँ, खातों की कापियाँ, विभागों की प्रक्रियाएँ और नियम, किसी निर्माण कार्य का

चित्रांकन या मानचित्र (नक्शा) सभी चीजें आम नागरिक के लिये सूचन हैं। खरीदें गए सामान के बिल का वाऊचर देख कर हमें यह सूचना मिल सकती है कि क्या-क्या खर्च हुआ।

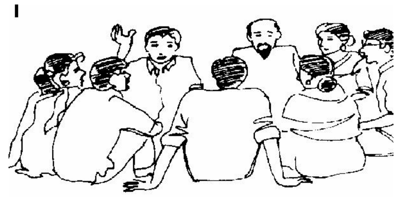

इन सब चीजों का हमारे लिये उपलब्ध होना सूचना का अधिकार है।

यह अधिकार हमें किसने दिया है?

यह अधिकार हमें हमारे देश के मूल कानून से मिलता है। देश के मूल कानून को संविधान कहते हैं। संविधान के अनुसार हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जिनकी रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने की सख्त मनाही है। हाँ, कुछ खास कारण्प्रे से, लोगों का ही हित देखते हुए, सामान्य सी रोक लग सकती है। इन खास अधिकारों को कहते हैं मौलिक अधिकार। यही अधिकार हैं जो हमें सूचना का अधिकार देते हैं:

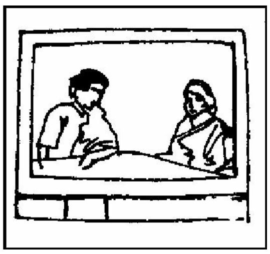

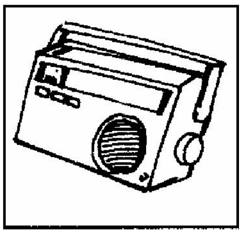

बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकारः इसका मतलब है अपनी बात खुल कर कह पाना, अपने विचार बिना किसी नाजायज रोक से व्यक्त करना। अभिव्यक्ति यानि अपने भाव प्रकट करना - चाहे वह बोलकर या लिखकर, चित्र या मूर्ति बनाकर हों। इस अधिकार का एक जरूरी अंश है किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना चाहे उसके समर्थन में या विरोध में। बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में जानने का अधिकार निहित है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके बारे में विचार नहीं व्यक्त कर सकते।

समानता का अधिकारः सभी को कानून की नजर में सामान व्यवहार का अधिकार है। इसलिए समान रूप से हर व्यक्ति को सूचना मिलना भी इसमें

शामिल है, क्योंकि सूचना एक व्यक्ति की शक्ति होती है। सूचना रखने वाले व्यक्ति में और सूचना से वंचित व्यक्ति में असमानता पैदा होती है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकारः इसका मतलब है वे सभी चीजें पाने का अधिकार जिनसे अपने जीवन और प्राणों की रक्षा हो सके। इसमें सम्मान से, बिना नाज़ायज़ रोक-टोक का जीवन जीने का अधिकार भी है। इसी में है अपने जीवन से जुड़ी अहम बातों की जानकारी का अधिकार।

फिर सूचना मिलती क्यों नहीं?

सूचना अधिकतर इसलिये मना की जाती है क्योंकि-

- कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अंतर्गत सूचना रोकी जा सकती है।
- शासन जटिल और उलझा हुआ होने के कारण प्रभावशाली और भ्रष्ट हो गया है। वह 'गुप्त सूचना' की आड़ में अपने को बचाना चाहता है।
- माँगी सूचना मिलनी ही मुश्किल है क्योंकि सरकारी फाईलें, दस्तावेज़ और कागज़ रखने का ढंग बहुत खराब और पुराने ढंग का है।
- लोग यह जानते ही नहीं कि उन्हें सूचना लेने का अधिकार है। अगर उन्हें सूचना देने के लिए कोई इन्कार करता है तो वह अपने हक को बलपूर्वक नहीं जताते। अभी की स्थिति में, हय हक लेने के लिये लोगो को कोर्ट जाना पड़ेगा जो कि एक लम्बा और परेशानी का रास्ता है।
- सूचना माँगने या प्राप्त करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती।

सूचना क अधिकार पर एक केन्द्रीय कानून संसद ने पारित किया है। इस कानून का नाम ह **'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'** अंग्रेजी में इसका नाम है **'राईट टू इन्फॉरमेंशन ऐक्ट, 2005'**

इस कानून की मुख्य बातें

- ❖ सूचना के अधिकार का उद्देश्य है, प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- ❖ हर नागरिक को लोक शक्तियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 'लोक शक्तियाँ' यानि सरकारी, शासकीय संवैधानिक संस्थाएँ और विभाग। इसमें सरकार द्वारा दिए गए भारी मात्रा का आर्थिक सहयोग पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएँ भी शामिल हैं।
- ❖ 'सूचना' का मतलब है किसी लोक शक्ति के शासकीय कार्यों या निर्णयों से संबंधित किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री।
- ❖ सूचना कई तरीकों से ली जा सकती है :
    - ❑ रिकार्डों का अवलोकन करके उनमें से अंश या नोट लेना।
    - ❑ रिकार्डों की सत्यापित प्रतियाँ (सर्टीफाईड कॉपी) लेना।
    - ❑ किसी सामग्री के सत्यापित नमूने लेना।
    - ❑ कम्प्यूटर की फ्लॉपी, डिस्केट इत्यादि जैसे माध्यमों से सूचना लेना।

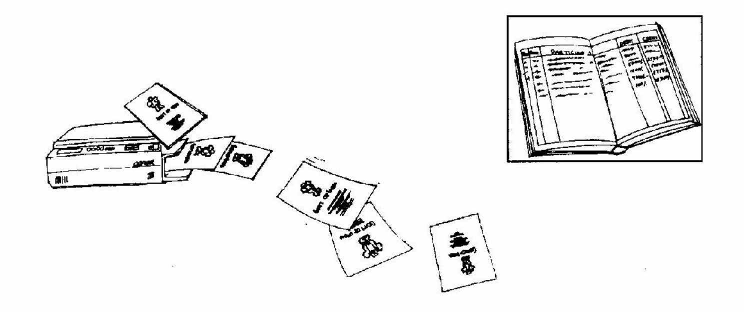

❖ इस कानून की एक अह्म बात है कि सरकरी विभागों और शासकीय संस्थाओं पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे :

➢ अपने रिकार्डों को सही ढंग से रखे जिससे उन्हें ढूँढने में सुविधा हो

❖ अपने बारे में कुछ जानकारी स्वयं प्रकाशित करें जैसे :

➢ अपने-अपने कार्यों और कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी

➢ अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ, उनके दायित्व और उनके निर्णय लेने की कार्यप्रणाली

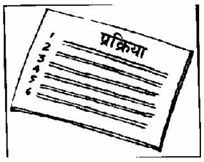

➢ अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक वेतन, भत्ता इत्यादि।

➢ अपने कार्य करने के लिए उनके मापदंड

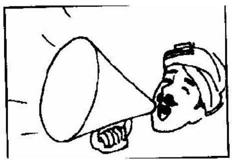

➢ उनके अधीन काम करने वाले लोगों के काम करने के तरीकों से संबंधित नियम, नीति, आदेश इत्यादि दस्तावेज

➢ कोई भी अह्म निर्णय लेते समय या नीति निर्धारित करते समय, उनसे संबंधित सभी तथ्यों को प्रसारित करना।

➢ अपने निर्णयों से प्रभावित लोगों को उन निर्णयों का आधार बताना

➢ कोई भी नया कार्य करने से पहले, उस कार्य के बारे में उनके पास उपलब्ध सारी जानकारी उस कार्य से प्रभावित होने वाले को देनी होगी।

- हर लोक शक्ति को अपने परिसरों में यह जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी :

- नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं-

- सूचना देने के लिए नियुक्त 'लोक सूचना अधिकारी' का नाम, पद और अन्य जानकारी (जैसे कहाँ बैठते हैं, कार्य करने का समय, इन्यादि)

- सूचना उपलब्ध करने के साधनों की जानकारी, जैसे वाचनायलय (लाइब्रेरी) का समय, इत्यादि।

एक नागरिक सूचना कैसे माँगेगा?

- हर विभाग में, इस कानून के अंतगर्त सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक 'लोक सूचना अधिकारी' नियुक्त किए गए हैं। इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के कार्यालय में लिखी होगी।

- लोक सूचना अधिकारी किसी भी सूचना की माँग का निपटारा करेंगे। वे सूचना माँगने वाले को हर प्रकार से सामान्य सहायता भी देंगे।

- लोक सूचना अधिकारी अपने इस कार्य के लिए किन्हीं और अधिकारियों की सहायता भी माँग सकते हैं। इन अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी की हर प्रकार से सहायता करनी होगी।

- कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की सूचना चाहता है, तो उसे 'लोक सूचना अधिकारी' को लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें उसे अपनी माँगी गई सूचना के बारे में ब्यौरा देना होगा। जैसे : किस विभाग से संबंधित है; फाईल या दस्तावेज का नाम (पता हो तो) आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, तारीख इत्यादि।

- अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन देने में असमर्थ है तो वह मौखिक आवदेन (बोल कर, मुँह-जुबानी) दे सकता है। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित में करने में सहायता करेंगे।

- सूचना का आवेदन पाने के बाद, लोक सूचना अधिकारी जितनी जल्दी हो सके और अधिकतम 30 दिन के अन्दर या तो सूचना उपलब्ध कराएंगें या कारण बताते हुए, आवेदन को नामंजूर कर देंगें।

यदि माँगी गई सूचना किसी व्यक्ति की जान या निजी स्वतंत्रता सं संबंध रखती हो, तो सूचना 48 घंटों के अन्दर दी जानी चाहिए।

- सूचना के आवेदन पर एक सामान्य शुल्क (फी) लगेगा। यह नकद, या बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा दिया जा सकता है। अलग-अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। केन्द्र सरकार ने आवेदन शुल्क 10 रूपये रखा है। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। माँगी गई सूचना पर भी कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। जहाँ सूचना की मात्रा अधिक होगी, वहाँ लोक सूचना अधिकारी शुल्क भरने के लिए आवेदक को सूचित करेंगे। सूचित करने और शुल्क जमा करने के बीच की अवधि 30 दिन की गिनती में नहीं आएगी सूचना उसी रूप में दी जानी चाहिए, जिस रूप में माँगी गई हो। जैसे, अगर किसी रजिस्टर की प्रति (फोटोकॉपी) माँगी गई है, तो वही देनी होगी।

    अगर सूचना ऐसे रूप में माँगी गई हो जिससे या तो विभाग का असामान्य समय या पैसा खर्च हो या उन दस्तावेज़ों को कोई नुकसान पहुँचे तो सूचना किसी और रूप में भी दी जा सकती है। जैसे : यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े दस्तावेज की छपी प्रतियाँ माँगे, जिन्हें छापने/फोटाकॉपी करने में बहुत समय लगेगा, तो कागज़ी प्रतियों के स्थान पर कम्प्यूटर 'फ्लॉपी' इत्यादि द्वारा वह सूचना दी जा सकती है।

क्या हर प्रकार की सूचना दी जाएगी?

नहीं ! कानून में कुछ ऐसी सूचनाओं की सूची है जिनको देने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा, कुछ सरकारी संस्थाएँ हैं जिनका काम सुरक्षा और

गुप्त सूचना की प्राप्ति से जुड़ा है। इस कानून के प्रावधानों द्वारा इन संस्थाओं से सूचना नहीं माँगी जा सकती।

सूचना का आवेदन किन आधारों पर नामंजूर हो सकता है?

कुछ सूचनाएँ नहीं दी जाएँगी, जैसे :

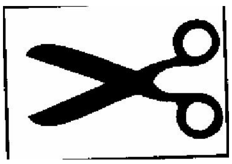

- भारत की प्रभुता, अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ; वे सूचनाएँ जो राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ।

- सूचनाएँ जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हों; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जाँच पर विपरीत असर डालती हों; वे सूचनाएँ जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें। वे सूचनाएँ जो किसी की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करें।

- मंत्रीमंडल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेज व विचार-विमर्श। ऐसी सूचनाएँ निर्णय लेने या प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जन साधारण को दी जा सकती हैं।

- व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है। ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, या किसी व्यक्ति को नाजायज़ फायदा या नुकसान हो सकता है।

- ऐसी सूचना जिससे संसद या विधान सभाओं के विशेष अधिकारों की मर्यादा भंग होती हो।

- ऐसी सूचना जिससे किसी कोर्ट के विधिवत् आदेश का उल्लंघन होता हो।

- ऐसी सूचना जो किसी की निजी सूचना है और किसी लोक गतिविधि या जनहित से संबंध नहीं रखती, या जो दिए जाने से किसी की निजीता (प्राईवेसी) का उल्लंघन करती हो। यदि सूचना अधिकारी को लगे कि ऐसी निजी सूचना देने से किसी जनहित की पूर्ति होती है तो ऐसी सूचना भी दी जा सकती है।

कोई भी सूचना जो संसद या किसी राज्य की विधायिका को देने से मनाही नहीं हो सकती, वे सभी सूचनाएँ किसी व्यक्ति को भी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

ऊपर दिए गए सभी विषयों पर ऐसी सूचना जो 20 साल से पहले हुई किसी घटना से संबंध रखती है, दी जाएगी।

यदि कोई ऐसी सूचना दी जानी हो जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती हो या उसके द्वारा गुप्तता मान कर दी गई हो, तो देने के पहले, लोक सूचना अधिकारी :

- आवेदन पाने के 5 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना देंगे कि वे कौन-सी सूचना देने वाले हैं

और

- सूचना की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर उस अन्य व्यक्ति को सूचना दिए जाने का विरोध करने का मौका देंगे।

- सूचना का आवदेन पाने के 40 दिन के अन्दर, अन्य व्यक्ति को सुनवाई का मौका देकर, सूचना देने या न देने का निर्णय लेंगे।

- इस निर्णय की सूचना उस अन्य व्यक्ति को लिखित में दी जाएगी, यह बताते हुए कि वह इस निर्णय के विरोध में अपील कर सकते हैं।

अगर कोई लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह क्या करे?

कोई भी व्यक्ति अगर लोक सूचना अधिकार के निर्णय से संतुष्ट न हो या उसे लगे कि दी गई सूचना पर्याप्त नहीं है या उसे कोई भी जवाब न मिले, 'अपील' कर सकता है। अपील का मतलब है किसी उच्च्य अधिकारी या शक्ति से दोबारा निर्णय लेना।

यह अपील कैस की जाएगी?

निर्णय मिलने के 30 दिन के अन्दर अपील करनी होगी। अपील लिखित में, असंतोष के कारण बता कर करनी होगी। 30 दिन के बाद भी अपील की जा सकती है अगर अपील सुनने वाले अधिकारी मान लें कि देर होने के पर्याप्त कारण थे।

अपील किसे की जाएगी?

अपील किसी वरिष्ठ शासकीय अधिकारी को दी जाएगी। इनका पद/पता संबंधित विभाग से मिलेगा। सूचना की अर्जी नामंजूर करते समय, लोक सूचना अधिकारी लिखित में कारण देने के साथ, अपील अधिकारी का पूरा पता/पद इत्यादि भी देंगे।

अगर कोई इस पहली अपील से भी संतुष्ट न हो तो वह दूसरी अपील कर सकता है। यह दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को देनी होगी। यह अपील भी पहली अपील के निर्णय से 90 दिन के अन्दर करनी होगी।

पहली और दूसरी अपील को 30 दिन के अन्दर निपटाया जाएगा। अगर समय बढ़ाया जाएगा तो उसके कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे।

जब सूचना के आवेदन को नामंजूर किया जाएगा, तभी 'अपील' करने वाले अधिकारी को पूरा नाम/पद/पता आपको बताया जाएगा। यही भी बताया जाएगा कि अपील कितने दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। इस नामंजूरी के आदेश में नामंजूरी के कारण भी बताए जाएंगे। इन कारणों के आधार पर अपनी 'अपील' तैयार कर सकते हैं।

शिकायत

यदि कोई विभाग सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, पर्याप्त शुल्क से अधिक शुल्क लगाए, लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न करे, अधूरी, गलत या गुमराह करने वाली सूचना दे सूचना के लिए मना करे, तो कोई प्रभावित व्यक्ति सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

दण्ड

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना का आवेदन लेने से इन्कार करे, सूचना निर्धारित समय में न दे, या बिना उचित कारण के, जान बुझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना दे, तो उस पर सूचना आयोग द्वारा सूचना देने तक 250/- रूपये (ढाई सौ रूपय) प्रतिदिनक का दंड लगा सकती है। यह दंड अधिक से अधिक 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रूपय) तक का हो सकता है। इसके अलावा, कोई अधिकारी नियमित रूप से सूचना देने के लिए मनाही करे या उसके देने के आड़े आए तो आयोग उस पर लागू होने वाले अुनशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही का आदेश भी दे सकता है।

क्या हम नामंजूरी के विरोध में अपनी बात का न्यायिक फैसला कोर्ट में केस डाल कर ले सकते हैं?

नहीं ! इस कानून के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश को साधारण दीवानी मुकद्दमा करके (सिविल कोर्ट) में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल ऊपर बताई गई अपीलों द्वारा सुनवाई हो सकती है।

लेकिन, फिर भी, किसी भी शासकीय आदेश के विरोध में, हाई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। इस अर्जी को 'रिट याचिका' कहते हैं। यह एक संविधानिक अधिकार है। अगर आपको लगे कि दिया गया आदेश गैर कानूनी, नाजायज या किसी और कारण से गलत है, तो हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं।

- हर स्थिति में, सूचना मांगने के अधिकार का उपयोग कीजिये।

- अपने विचारों की अभिव्यक्ति कीजिये। हर विचार का मूल्य होता है।